


16/12/22

पशावली पेशा दुरी। वादी वकील उषा।  
पशावली का अवलोकन करते से जात होता है  
कि वादी वकील उक्त वाद में आगे कोई कार्रवाई  
बधी सकते हैं पशावली वाले प्रतिवादीगण की तलबी  
केतु आदिनाके तक समय पेशा बधी किये गये।

अतः उक्त वाद की कार्रवाई रही है पर  
समाप्त की जाती है।

पशावली फैसल  कोर्ट  
दालील कसत हो। खयाल न करत हो।

*Handwritten signature*